



उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:ro.raipur.ibm@gmail.com)

No.CHG/DRG/Lst-26/NGP

Date: 29.01.2018

प्रति

श्री सुशील कुमार वाली. नोमीनटेड ओनर

सर्वश्री जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,

पोस्ट - अहिरवारा, तहसील - धमधा,

जिला.दुर्ग, छत्तीसगढ़ - ४९००३६

Sub: Violation of provisions of MCDR, 2017 in respect of JK Lakshmi Limestone Mine of M/S J K Lakshmi Cement Ltd over an extent of 3.096 Ha. in Semaria (V) Dhamdha (T) Durg Dist.

Sir,

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 16.01.2018 by undersigned accompanied by Sri.B.L.Bhati, Mining Engineer & Manager(Mine)

Rule	Nature of Violation observed
Rule 45	While scrutiny of the Annual return submitted for 2016-17 it is observed that mining machineries details, Ex-mine price and cost of production is same for both the mine J K lakshmi limestone mine (Area 267.695 ha.) & Semeria limestone mine (Area 3.096 ha.) of M/s J K Lakshmi Cement Ltd. whereas production in one mine is 1.699 million tons and in other only 1943 tons in 2016-17. As mentioned mine machineries details given but fixed assest is nil.
Rule 55	Employment of geologists and mining engineers.-(1) For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules,- 3. every holder of a mining lease shall employ, in case of- (iii) category 'A' mines, a whole-time mining engineer and a geologist; But the mine is not having mining engineer nor Geologist.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7)(क) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

